



**सम्बद्धता आदेश**

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 27-10-2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनांक 27.10.2020 से एस०सी०पी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल लखनऊ रोड, हरिपुर, गोण्डा, को स्नातक स्तर पर आयुष संकाय के अन्तर्गत बेचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज सर्जरी (बी०ए०एम०एस०) पाठ्यक्रम में 100 सीट्स की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था आयुष मंत्रालय/सी०सी०आई०एम० नई दिल्ली/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड के प्राविधान के अनुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा उनकी निरन्तरता सुनिश्चित करेगा तथा उपर्युक्त सम्बद्धता आयुष मंत्रालय/सी०सी०आई०एम० नई दिल्ली, संस्था का पाठ्यक्रम सम्बन्धी अनुमति आयुष संख्या/No.L-14014/56/2019-EP(1)Date:-21-05-2019 के अधीन होगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्र/छात्राओं से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में आयुष मंत्रालय/सी०सी०आई०एम० नई दिल्ली/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड /स्टेट मेडिकल फैकल्टी व शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था द्वारा एम०सी०आई०, नई दिल्ली/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० एवं सचिव स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा विश्वविद्यालय को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सम्बद्धता मेडिकल, डेण्टल एवं नर्सिंग पाठ्यक्रमों/विषयों में आयुष मंत्रालय/सी०सी०आई०एम० नई दिल्ली/एम०सी०आई०/डी०सी०आई०/आई०एन०सी०/उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी व विश्वविद्यालय के समय-समय जारी होने वाले दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत् शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
10. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
12. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड कराना अनिवार्य होगा।

भवदीय

कुलसचिव

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, एस०सी०पी०एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल लखनऊ रोड, हरिपुर, गोण्डा,।
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति कालेज लॉग-इन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव